25/4/2018	प्रत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/ ... कार्य मे ...स्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/5/2018 को पेश हो।
14/5/2018 तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता कायम किया जा चुका है तो अप्रार्थी नं. 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है	पत्रावली पेश हुये वकील उ०प० हाजिर। वकील अप्रार्थी नं० 5 व 6 ने कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर रास्ता कायम किया जा चुका है तो अप्रार्थी नं० 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी नं० 1 लगायत 5 का इन्कालिया जवाब पूर्व में शामिल पत्रावली है अप्रार्थी नं० 7 लगायत 10 की रजिस्टर्ड तामिल की रसीद वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की जा चुकी है अरसा एक माह व्यतीत होने के पश्चात भी अनुपस्थित है। अत: अप्रार्थी नं० 7 लगायत 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है पत्रावली वास्ते आदेश [illegible] दिनांक 8/6/2018 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर
8/6/2018	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोठड़ा तगालान में वास्ते आदेश पेश हुई। आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी – भावना गर्ग (आर0ए0एस)

आवेदन संख्या 14 / 2017

लिछमण सिंह पुत्र हणमान सिंह जाति राजपुत निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर ।

–प्रार्थी

बनाम

1.प्रेम कंवर पत्नि सूरजन सिंह जाति राजपुत निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।

1. नत्थूसिंह पुत्र सूरजन सिंह जाति राजपुत निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।
2. भवानीसिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति राजपुत निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।
3. मोबसिंह पुत्र भूरसिंह जाति राजपुत निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र नोलाराम
5. बलबीर पुत्र नोलाराम

समस्त जाति जाट निवासी जेरठी तहसील धोद जिला सीकर।

6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादिया जरिये मैनेजर
7. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जरिये मैनेजर
8. बैंक शाखा बड़ौदा शाखा स्टेशन रोड़ सीकर जरिये मैनेजर
9. तहसीलदार धोद जिला सीकर (राज0)

–अप्रार्थीगण

<u>आवेदन पत्र दफा 251(ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :– वकील प्रार्थी – श्री भवानी सिंह जेरठी।
वकील अप्रार्थीगण –श्री गौरी शंकर सैनी –अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
– श्री रणधीर सिंह काजला अप्रार्थी सं0 5व 6

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

:: **निर्णय** ::

दिनांक :–8.6.2018

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 लगायत 6 ग्राम जेरठी प0ह0 कूदन तहसील धोद जिला सीकंर के निवासीगण है,जिनके आपस में सींवा जोड़ पैतृक कृषि भूमियां है,जिनमें कदीमी आवागमन हेतु रास्ता चालू है। आवेदन की मद सं0. 2 अनुसार ग्राम जेरठी की सरहद में कृषि भूमियां खसरा न0 1095 रकबा 0.63 है0 ,ख0न0 1096 रकबा 0.69 है0 ,ख0न0 1097 रकबा 1.88 है0 ख0न0 1094 रकबा 1.57 है0 अवस्थित है जिन पर प्रार्थी व अप्राथीगण अपने अपने हिस्से के अनुसार अपनी अपनी कृषि भूमियों पर काबिज खातेदार व काश्तकार है। इनमें भूमि खसरा न0 1098 रकबा 4.42 है0 गैर मुमकीन चारागाह भूमि है। आवेदन की मद संख्या –2 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आवागमन हेतु पुराना व कदीमी रास्ता मौके पर चालु है व उक्त आवागमन के रास्ते से प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपनी अपनी कृषि भूमियों में आवागमन कर निरन्तर व निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन का रास्ता निम्न प्रकार है:–

कटान का रास्ता जो ग्राम जेरठी से गौचर भूमि ख0न0 1098 में प्रवेश करता है उस गौचर भूमि के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ भूमि खसरा न0 1094 व 1097 की मध्य की सींव के मध्य में प्रवेश करते हुए भूमि ख0न0 1096 व 1095 में प्रवेश करने का रास्ता है। उक्त रास्ते को आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में बरंग सुर्ख से प्रदर्शित किया गया है। जो 15 फीट चौड़ा रास्ता है।

आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 4 एवं 5 व 6 जरिये वकील उपस्थित आए तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से जवाब आवेदन प्रस्तुत किया गया। अप्रांर्थी संख्या 7 लगायत 10 के विरूद्ध बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में तहसीलदार,धोद से रिपोर्ट चाहे जाने पर वांछित रिपोर्ट जरिये पत्रांक 213/राजस्व/दिनांक 14.2.2018 के द्वारा भिजवाई गई,जिसमें अंकित किया गया है कि आवेदक द्वारा ग्राम जेरठी के ख0न0 1097 से जिस रास्ता की मांग की गई है, उसमें संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार 4.57 मीटर गुणा 36 मीटर के गूणक में 0.0165 है0 भूमि रास्ता के काम आनी है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम दूरी का है जो ख0न0 1097की उतरी सीमा के सहारे उतरी –पश्चिमी कोने से ख0न0 1096 मे प्रवेश करता है। यह कि ख0नं0 1095 व 1096 में आवागमन के लिए कोई कटानी रास्ता दर्ज अभिलेख नहीं है। आवेदित रास्ता मौके पर चालु है। जिसे आवेदक द्वारा धारा 251 (क) के तहत आवेदन कर 15 फीटचौड़ाई में कटान शुदा गै0 मु0 सिवायचक रास्ता किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। यह कि जिस भूमि में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन किया जा रहा है। तहसीलदार धोद की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता कायम किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व अप्रार्थी संख्या 5 व 6 को कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोद के पत्र कमांक 213/राजस्व/दिनांक 14.2.2018 संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 अनुसार ग्राम जेरठी तहसील धोद जिला सीकर स्थित आराजी ख0न0 1097 से जिस रास्ता की मांग की गई है, उसमें संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार 4.57 मीटर गुणा 36 मीटर के गूणक में 0.0165 है0 भूमि जो ख0न0 1097 की उतरी सीमा के सहारे उतरी –पश्चिमी कोने से ख0नं0 मे प्रवेश करता है, को आवागमन हेतु रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है कि प्रार्थी उक्त निर्वापित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी.दर के अनुसार दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को अदा करें । निर्वापित की गई भूमि के खसरा नम्बर के अलग से बट्टा नम्बर डालकर रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट ... उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, धोद
उपखण्ड अधिकारी धोद जि. सीकर

Scanned by CamScanner